कार्यालय : राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र.

सी-1, विक्रान्त खण्ड 1 (निकट शहीद पथ), गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक : 3770 /एस.सी.डी.आर.सी./यू.पी./2015 दिनांक : 29 अक्टूबर, 2015

आदेश

आयोग में पुरानी लंबित अपीलों के शीघ्र निस्तारण हेतु सूचीबद्ध किये जाने की प्रकिया संबंधी आदेश सं. 4502/एस.सी.डी.आर.सी./यू.पी./2014 दि. 29.12.2014 के क्रमांक 3 पर निम्नवत निर्देश अंकित है -

'वर्ष 2006 व उससे आगे की अंगीकृत अपीलों में अपीलार्थी/प्रत्यर्थी के लिखित बहस दाखिल करने के लिये निबंधक अपीलार्थी/प्रत्यर्थी को मात्र एक माह तक का अधिकतम समय, एक बार में, दे सकते हैं और इस अवधि में यदि संबंधित अपीलार्थी/प्रत्यर्थी अपनी लिखित बहस अपरिहार्य कारणों से दाखिल नहीं करते हैं तो दो बार और समय दे कर निबंधक द्वारा उन्हें 'सूचीबद्ध किये जाने हेतु तैयार' (Ready to List) श्रेणी में रखे जाने के लिये निर्देशित कर दिया जायेगा।'

सम्यक् विचारोपरान्त उक्त बिन्दु को संशोधित कर निर्देशित किया जाता है कि अब से अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी, दोनों पक्षों के लिखित बहस प्राप्त होने के उपरान्त ही संबंधित अपील को 'सूचीबद्ध किये जाने हेतु तैयार' (Ready to List) श्रेणी में रखा जायेगा। जब तक दोनों पक्ष लिखित बहस जमा नहीं करते हैं, संबंधित अपील को 'निबंधक के समक्ष' (Before Registrar) शीर्षक में ही सूचीबद्ध किया जायेगा।

यह आदेश दि.29.10.2015 की कॉजलिस्ट से प्रभावी होगा।

29.10.15

(न्यायमूर्ति वीरेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. समस्त मा. सदस्यगण, राज्य आयोग।
2. निबन्धक, राज्य आयोग।
3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, निबन्धन/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी, राज्य आयोग।
4. प्रशासनिक अधिकारी (अभिलेखागार/अधिष्ठान पटल), राज्य आयोग।
5. वरिष्ठ सहायक (रीडर), न्याय कक्ष सं. 1, 2, 3, 4 व 5 ।
6. नोटिस बोर्ड।
7. अध्यक्ष, ऑल यू.पी. कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन बार एसोसिएशन, लखनऊ।
8. अध्यक्ष, प्रोग्रसिव कन्ज्यूमर बार एसोसिएशन, लखनऊ।
9. अध्यक्ष, स्टेट कन्ज्यूमर कमीशन बार एसोसिएशन, लखनऊ।

(मो. रईस सिददीकी)
निबंधक